रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

15-6-87

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 1987/चैत्र 10, 1909
No. 159] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 1987/CHAITRA 10, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1987

शुद्धि-पत्र

सा. का. नि. 344(अ):—भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-2 खण्ड-3, उपखंड (i) दिनांक 5-1-1987 के पृष्ठ 1-6 पर प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या

सा.का. नि. 12(अ) दिनांक 5 जनवरी, 1987 के नियम 2, दूसरी पंक्ति में "मद क. 11-2-14 "ख" को "मद क 11.2.14" पढ़े।

[पी. 15025/43/85-पी. एच. (एफ. एंड एन.) पी. एम. II]

एम. वी. सुब्रामणियन, संयुक्त सचिव

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI, 110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987